संख्या- 21/2017/2723/78-2-2017-42आई0टी0/2017टीसी-

प्रेषक,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1- समस्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त, मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त विभागध्यक्ष, उ0प्र0।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 28 अगस्त 2017

विषयः ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आई0टी0/2017 दिनांक 12 मई 2017 द्वारा सभी निर्माण कार्यो, सेवाओं/ जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय तथा चालू दर एवँ दर-अनुबन्ध (रेट कान्ट्रैक्ट) हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू कर दी गई है तथा दिनांक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त समस्त सभी विभागों द्वारा सभी शासकीय निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से ही आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी होगा।

2- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें तीन माह में पूर्ण कराया जाना निर्दिष्ट किया गया था। इस बारे में विभागों/उपक्रमों इत्यादि के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकों में, जनपदीय अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के अतिरिक्त, समय-समय पर, शासनादेशों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी निर्गत किये जाते रहें है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त विभाग सभी शासकीय निविदायें मैनुअल एवं आफ लाइन मोड के माध्यम से न करके ई-टेण्डरिंग प्रणाली से ही किया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजीव कुमार
मुख्य सचिव

सँख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित

1- मुख्य स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in